न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

सं. 09/2017
सीएमएस : 2017/00848

1. मेजर सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 17 पीएस तहसील रायसिंहनगर हाल 17 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज0

–: प्रार्थी

बनाम

1. हरबंश सिंह पुत्र रतनसिंह जाति जटसिख निवासी मीरापुर तहसील व जिला जांलधर पंजाब
2. हरदयाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 17 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. गुरमेल सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 17 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. कुलवंतकौर पुत्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 17 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
5. छिन्दासिंह पुत्र निर्मलसिंह जाति जटसिख निवासी 17 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
6. काकासिंह पुत्र निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी 17 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
7. चरणकौर पुत्र निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी 17 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–: अप्रार्थीगण

<u>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :–
श्री गुरप्रताप सिंह, वकील प्रार्थी
श्री सुखदर्शन सिंह, वकील अप्रार्थी सं. 1

–: <u>निर्णय</u> :–

दिनांक : 31.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राज.काश्त. अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के दादा अप्रार्थी सं. 1 के पिता अप्रार्थी सं. 5–6 के पडदादा व अप्रार्थी सं. 7 के ससुर रतनसिंह पुत्र गण्डासिंह जाति जटसिख अपने जीवनकाल में संयुक्त हिन्दू परिवार का गठन करते थे और परिवार मुख्य कर्ता धर्ता थे जिन्होंने अपने जीवनकाल में राजस्थान व पंजाब में पैतृक सम्पति के अलावा स्वअर्जित सम्पतियां अर्जित की गई थी उनके स्वयं के नाम से चक 17 पीएस तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 164/284 मु.नं. 27 के कि.नं. 1 ता 10, 15, 16 व 25 की कुल 3.264है. नहरी बारानी खातेदारी भूमि थी। इसके अलावा पंजाब में 11 किला 10 कनाल भूमि पिंड मीरापुर में थी। इसके अलावा 17 पीएस में परिवार के सदस्यों [illegible] भूमि हैं। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से 17 पीएस के प.नं. 162/286 मु.नं. 42 कि.नं. 6 [illegible] 0.253है. कुल 0.506है. भूमि अकेले के नाम से दर्ज हैं तथा 17 पीएस [illegible] 162/287 मु.नं. 51 में कुल 0.0290है. में से 1/2 भाग यानि 0.514है. [illegible] कमाण्ड भूमि हैं। प्रार्थी के दादा रतनसिंह का अपने भाई अमरसिं[illegible] व बंटवारा अनुसार प्रार्थी के दादा रतनसिं ने अपनी पंजाब में स्थित भूमि में से 9 कनाल भूमि [illegible]रसिंह को देते हुये अमरसिंह से उसकी चक 17 पीएस के मु.नं. 42 प.नं. 167/286 के कि.नं. 1 [illegible] 0.228., 2 की 0.228है., 9 व 10 प्रत्येक 0.253है., 11 व 12 प्रत्येक 0.253है., 19/1 की 0.089है., 20 व 21 प्रत्येक 0.253है. कुल 2.063है. भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया। संयुक्त हिन्दू परिवार के मुखिया होने से उन्होंने सम्पतियों के समूचित उपयोग–उपभोग व सुविधा के मध्यनजर अपने जीवनकाल में अपने तीनों पुत्रों महेन्द्र सिंह, प्रगटसिंह व जीतसिंह के उनके निवास अनुसार अलग–अलग राज्य की सम्पतियों का कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:08:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सुपुर्द कर रखा था। जिस अन्तर्गत प्रार्थी व अप्रार्थी हरदयाल सिंह के पिता मेन्द्र सिंह व अप्रार्थी सं. 3 ता 7 के पिता दादा ससुर जीत सिंह को राजस्थान में स्थित भूमि का कब्जा सुपुर्द कर रखा था। पंजाब में स्थित भूमि का कब्जा अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2, 3 के पिता प्रगट सिंह को सुपुर्द कर रखा था। रतनसिंह का देहान्त 32–33 साल पहले हो चुका हैं। उन्होंने अपने जीवनकाल में अपने किसी भी रकबा की कोई वसीयत भी किसी के पक्ष में नहीं करवायी। बल्कि अपनी मृत्यु से कुछ अरसा पहले सारे परिवार को एकत्रित करते हुय सम्पति का मौखिक रूप से बंटवारा अपने पुत्रों के मध्य कर दिया। जिसके अनुसार 17 पीएस में स्थित भूमि अपने स्वयं के नाम व परिवार की समस्त भूमि प्रार्थी के पिता महेन्द्र सिंह व उनके भाई जीत सिंह के हिस्सा में आ गई और पंजाब की भूमि हरबंश सिंह व प्रगट सिंह दोनों भाईयों के हिस्सा में आ गई। इसी बंटवारा अनुसार महेन्द्र सिंह व जीत सिंह मृत्यु तक निरंतर काबिज काश्त रहे और उनकी मृत्यु पश्चात हुवे बंटवारा में प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण काबिज काश्त चल आ रहे हैं। जिस अनुसार प्रार्थी और उसके भाई सतनाम सिंह चक 17 पीएस के प.नं. 164/284 मु.नं. 27 के कि.नं. 6 ता 10 प्रत्येक 0.253, 16 की 0.126, 15 की 0.253 कुल 1.644है. नहरी बारानी व प.नं. 162/287 मु.नं. 51 के कि.नं. 8/1 की 0.244है. कमाण्ड कुल 2.141है. भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं, और मौका पर उनका ही कब्जा हैं। शेष भूमि पर जीतसिंह के वारिसान काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थी तदनुसार अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को बंटवारा की पालना में विवादित रकबा महेन्द्र सिंह व जीतसिंह के वारिसान प्रार्थी आदि के नाम से अभिलेखों में दर्ज करवाने की अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग हेतु अनुरोध करने पर प्रथमत टालमटोल के पश्चात दिनांक 22.01.2017 को स्पष्ट रूप से इंकार हो गये। और धमकी दी कि वह किसी बंटवारा को नहीं मानता और उसने जैसे फर्जीवाडा करते हुये पंजाब स्थित भूमि में से अन्य वारिसान को हिस्सा हड़पते हुये रकबा खुर्द बुर्द किया हैं वैसे ही 17 पीएस वाली भूमि से वादी व अन्य को बेदखल कर अकेले के नाम से दर्ज करवाते हुए खुर्द बुर्द कर देगा। यदि अप्रार्थीगण इस कृत्य में कामयाब हो जाते हैं तो इससे प्रार्थी को होने वाले नुकसान को मुद्राओं में नहीं आंका जा सकेगा। उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का अस्थाई व्यादेश पारित करने हेतु निवेदन किया कि से चक 17 पीएस तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 164/284 मु.नं. 27 के कि.नं. 6 ता 10 प्रत्येक 0.253है., 16 की 0.126है. व 15 की 0.253है. कुल 1.644है. नहरी बारानी तथा इसी चक के प.नं. 162/286 मु.नं. 42 के कि.नं. 6 की 0.253है. कमाण्ड व प.नं. 162/287 मु.नं. 51 के कि.नं. 8/1 की 0.244है. कमाण्ड कुल 2.141है. खातेदारी कृषि भूमि पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे बाबत व्यादेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ता 7 के विरूद्ध दिनांक 23.07.2019 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी पंजाब की भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत 23.12.1983 को सब रजिस्ट्रार के समक्ष करवाई। वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण हरबंश सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका हैं। भूमि का बंटवारा रतनसिंह द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ अपने जीवनकाल में नहीं किया। 17 पी एस के मु.नं. 51 प.नं. 162/287 में 1.290 है. नहरी भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार 17 पीएस प.नं. 162/286 मु.नं. 42 में 0.506 है. नहरी भूमि अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड में दर्ज हैं। जो पिता रतन सिहं के जीवनकाल से ही मुझे अप्रार्थी हरबन्ससिहं के नाम से दर्ज है ओर इसी प्रकार चक 17 पी एस के मु.न. 27 प.न.164/284 में 3.264 है0 नहरी बारानी भूमि मुझे अप्रार्थी के पिता रतनसिहं के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं ओर पिता रतनसिहं का देहान्त हो चुका है ओर पिता रतन सिहं के कानूनी जायज वारिस 1.महेन्द्र सिहं ,2.जीतसिहं, 3. प्रगट सिहं 4.हरबन्ससिहं , 5. गुरमेजकोर , 6. महेन्द्रकोर है। इस प्रकार पिता रतनसिहं के नाम की भूमि में मुझे अप्रार्थी हरबन्ससिहं का 1/6 हिस्सा बनता है। जो अप्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हूँ ओर अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी हूँ। रतन सिंह के नाम से भूमि में मेरा 1/6 हिस्सा यानि 0.544है0 नहरी/बारानी भूमि विरासत यानि ... अधिकारी हूँ। विवादित भूमि जद्दी जायदाद है जिसमें अप्रार्थी अपने पिता रतनसिंह से ... हक व हिस्सा पाने का विधिक कानूनी वारिस हूँ और मृतक महेन्द्र सिहं पुत्र रतन सिहं का ... है जो अपने पिता महेन्द्र सिहं पुत्र रतनसिहं की भूमि में अपना हक व हिस्सा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी मुझे अप्रार्थी के पिता से व उसके पिता रतनसिहं से कोई भूमि पाने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी अपने पिता रतन सिहं का कानूनी वारिस है। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष झूठे कथन दर्ज करके आवेदन पत्र पेश किया जो निरस्ती योग्य है। प्रार्थी कभी भी अप्रार्थी को नहीं मिला है। कोई फर्जी दस्तावेज नहीं बनाया गया है। अप्रार्थी अपने पिता रतनसिहं की जायदाद में अपना हक व हिस्सा पाने का अधिकारी हूँ। मौका पर अपनी भूमि पर काबिज हूँ।प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:08:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...ति तीनों बिन्दू अप्रार्थी के पक्ष में है। क्योंकि मुझे प्रार्थी के पिता रतनसिहं की भूमि है ...अप्रार्थी वारिस हुँ। जो अपना हक व हिस्सा की भूमि पाने का अधिकारी है। प्रार्थी मेजर ...गन की आड़ में भूमि हड़पना चाहता है ओर नाजायज कब्जा करने की फिराक में है। प्रार्थी ...प्रकार का कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का आवेदन पत्र ...निरस्ती है।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना ...में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि विवादित भूमि राजस्थान व पंजाब की भूमि ...बंटवारा हुआ था जिसके अनुसार अप्रार्थी पंजाब की भूमि पर तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 व ...सिहं के हिस्सा में आई तथा राजस्थान की भूमि प्रार्थी के पिता महेन्द्र सिहं व उनके भाई ...सिहं के हिस्सा में आई। बंटवारा अनुसार विवादित भूमि पर काबिज चले आ रहे है। तदनुसार ...खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवा पाने का विधिक अधिकारी है। यदि अप्रार्थीगण के ...निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती हैं तो प्रार्थी को भूमि के रहन बैय होने से अपूर्णीय क्षति ...। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा ...किया कि अप्रार्थी के पिता रतन सिहं द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी पंजाब की भूमि की ...स्टर्ड वसयीत दिनांक 23.12.1983 को सब रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होकर करवाई ओर ...यत के आधार पर नामान्तकरण अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। अप्रार्थी ...पिता रतन सिहं का देहान्त दिनांक 3.12.88 को चुका है। भूमि का इन्तकाल अप्रार्थी के नाम ...राजस्व रिकार्ड में वसीयत के आधार पर दर्ज हो चुका है। भूमि का कोई बंटवारा मेरे पिता रतनसिहं ...किसी भी व्यक्ति के साथ अपने जीवनकाल नहीं हुआ था। प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने गल्त तथ्यों के ...आधार पर प्रस्तुत किया है। जो काबिल खारिज के है।

बहस पक्षकारान पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ...की पंजाब व राजस्थान में स्थित भूमि का बंटवारा किया जा चुका था। प्रार्थी व अप्रार्थी बंटवारा के अनुसार भूमि पर काबिज है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया हैं कि विवादित भूमि जद्दी जायदाद थी जिसकी वसीयत उसके पिता के द्वारा उसके पक्ष में दिनांक 23.12.1983 को वसीयत रजिस्टर्ड की जा चुकी थी। जिसका नामान्तकरण भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। इन दोनों बिन्दुओं का निस्तारण मूल वाद में दोनो पक्षों के साक्ष्य लिये जाकर मेरिट के आधार तय किया जाना हैं। फिलहाल स्थगन प्रार्थना पत्र का ही निस्तारण किया जाना है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज है। अपने नाम दर्ज का फायदा उठा कर खुर्द–बुर्द कर देगा तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी को न होकर प्रार्थी को होने की संभावना हैं तथा इससे अनावश्यक मुकदमा बाजी बढेगी। तथा ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अगर प्रार्थी अपने वाद पत्र को सिद्व करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बैय हस्तांतरण करने में स्वतन्त्र है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 13.02.2017 को पारित स्थगन आदेश को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:08:14 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner